अध्याय – 4
खनन प्राप्तियाँ

अध्याय 4
खनन प्राप्तियाँ

4.1 प्रस्तावना

खनिजों को मुख्य खनिज (लौह अयस्क, मैग्नीज़, सोना इत्यादि) और गौण खनिज (रेत, ग्रेनाईट, कंकड़, इमारती पत्थर इत्यादि) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। खनिजों की खुदाई के लिए खनन पट्टे[1]/उत्खनन पट्टे[2] एवं व्यापारिक खदान[3] के रूप में खदानों को आवंटित/स्वीकृत किया जाता है। राज्य में खनिजों पर रॉयल्टी का करारोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957, खनिज रियायत नियम 1960 एवं म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 द्वारा निर्धारित होता है।

4.2 कर प्रशासन

खनिज साधन विभाग, सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पूर्णतः अधीन कार्य करता है। संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, विभाग का प्रमुख होता है जिसकी सहायता मुख्यालय और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के उपसंचालकों द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख है और जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं खनिज निरीक्षक (ख.नि.) उन्हें राजस्व संग्रहण संबंधी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता करते हैं। जि.ख.अ./स.ख.अ और ख.नि. रॉयल्टी और अन्य खनन प्राप्तियों के निर्धारण, अधिरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं। जि.ख.अ एवं ख.नि. खदानों का निरीक्षण, उत्पादन की समीक्षा और खनिजों के प्रेषण के लिए अधिकृत हैं।

4.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016–17 के दौरान, खनिज साधन विभाग के 33 जिला खनिज कार्यालय (51 में से) लेखापरीक्षा के लिये शामिल किये गये। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व ₹ 3,168.28 करोड़ था जिसमें से, लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 2,610.66 करोड़ एकत्रित किये। इसके अतिरिक्त जनवरी से जून 2017 के दौरान वर्ष 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि के लिए "रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम" पर एक लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के दौरान 2,272 प्रकरणों में ₹ 605.49 करोड़ के राजस्व की कम वसूली होने/वसूली नहीं होने एवं अन्य अनियमिताओं के मामले संज्ञान में आए, जो निम्नानुसार **तालिका 4.1** में उल्लेखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

---

[1] खनन पट्टा से आशय खनन संचालन के उद्देश्य से दिया गया पट्टा है और इसमें उक्त उद्देश्य हेतु स्वीकृत उप–पट्टा सम्मिलित है। यह मुख्य खनिजों के लिए दिया जाता है

[2] उत्खनन पट्टे से आशय गौण खनिजों के लिए खनन पट्टा है

[3] व्यापारिक खदान से आशय एक खदान से है, जिसके लिए 'कार्य का अधिकार' नीलाम किया जाता है

तालिका 4.1
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	''रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम'' पर लेखापरीक्षा	1	153.18
2	जिला खनिज फाउंडेशन (जि.ख.फा.) का अनारोपण	153	298.12
3	अनिवार्य किराया/रॉयल्टी का अनारोपण	518	72.66
4	विलम्बित भुगतानों पर ब्याज़ की वसूली नहीं/कम वसूली	375	26.22
5	खदानों पर ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर का अनारोपण/कम आरोपण	506	18.73
6	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) निधि का अनारोपण	140	16.32
7	ठेका राशि की वसूली नहीं/कम वसूली	22	1.83
8	वसूल न किया गया बकाया राजस्व	27	0.55
9	अन्य (शास्ति का अनारोपण, पट्टा अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्कों का अनारोपण आदि)	530	17.88
	योग	**2,272**	**605.49**

इन प्रकरणों में से, विभाग ने ₹ 338.95 करोड़ की राशि वाले 2,263 प्रकरण स्वीकार किये और केवल ₹ 4.19 करोड़ की वसूली (फरवरी 2018) की गई। अन्य प्रकरणों के संबंध में बताया गया कि जाँच के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। लेखापरीक्षा में आगामी प्रगति पर निगरानी रखी जायेगी।

वर्ष 2016–17 के दौरान पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में उठाई गई लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से संबंधित 117 प्रकरणों में ₹ 1.03 करोड़ राशि की वसूली की गयी।

4.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2011–12 से 2015–16 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 68 कंडिकाओं में ₹ 212.34 करोड़ के विभिन्न प्रेक्षणों को दर्शाया गया था, जिनमें से विभाग द्वारा केवल ₹ 39.17 करोड़ की वसूली की गई थी। इन 68 कंडिकाओं में से जून 2014 और मई 2017 के बीच 26 कंडिकायें[4] चर्चा हेतु लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा चुनी गई। लो.ले.स. ने वर्ष 2011–12 से 2014–15 की 14 कंडिकाओं पर चर्चा की। यद्यपि 57 कंडिकाओं के संबंध में विभाग का उत्तर लो.ले.स. के माध्यम से प्राप्त हुआ है।

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2008–09, 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समान कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा एवं दिशा–निर्देश (27वाँ प्रतिवेदन 2014–15, 390वाँ प्रतिवेदन 2016–17 एवं 393वाँ प्रतिवेदन, 2016–17) भी दिए जो इस प्रकार थे–(1) सभी प्रकरणों में विभाग को अनुशंसा की तारीख से तीन माह के भीतर वसूली करना था। (2) भविष्य में समान अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकना और आवश्यक आदेश जारी करना, जिसमें जिम्मेदार जि.ख.अ. के खिलाफ

[4] 2011–12 (06), 2012–13 (09), 2013–14 (03), 2014–15 (04) और 2015–16 (04)

आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करना भी शामिल है। इसके अलावा कुछ अनुशंसाएँ थीं। (1) विभाग को लंबित राशि की वसूली के साथ–साथ लेखे से संभावित अवसूलनीय राशि के अपलेखन की कार्यवाही करनी थी। (2) लंबित बकाया राशि और ब्याज़ की वसूली के लिए विभाग द्वारा समय–सीमा निर्धारित की जानी थी।

तथापि, विभाग ने अनुशंसाओं का पालन नहीं किया है।

अनुशंसाः

विभाग को वसूली के लिये लोक लेखा समिति के दिशा–निर्देशों का शीघ्र पालन करना चाहिये।

खनिज विभाग की **"रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम"** विषय पर आधारित लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिसमें राशि ₹ 153.18 करोड़ निहित हैं तथा साथ ही अनुपालन लेखापरीक्षा में पाई गई मुख्य अनियमितताएँ जिनमें राशि ₹ 164.85 करोड़ की राशि निहित है निम्नलिखित अनुच्छेदों में वर्णित हैं।

4.5 ''रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम'' पर लेखापरीक्षा

4.5.1 परिचय

रेत मुख्य रूप से नदियों से उत्खनित होती है। अत्यधिक और अवैध रेत खनन नदियों की अवनति का कारण है, नदी को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर करता है, भू–जल स्तरों को प्रभावित करता है तथा सूक्ष्म जीवों के रहवास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भू–जल पुनर्भरण के लिए रेत महत्वपूर्ण है, चूंकि यह नदी के तल का भाग है अतः नदी में बहने वाले जल और भू–जल स्तर के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, और यह जलीय चट्टानी परत का भाग है।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सुझाए गए निवारक उपायों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, राज्य शासन द्वारा रेत खनन नीति 2015 तैयार की गयी थी। इसका आगामी लक्ष्य राज्य में परिचालित रेत खदानों की संख्या को बढ़ाना है ताकि सार्वजनिक उपयोग के लिए उचित मूल्य पर रेत उपलब्ध करायी जा सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी धारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 में प्रदत्त पर्यावरण सुरक्षा उपायों के परिप्रेक्ष्य में नदी के किनारों से रेत के खनन और परिवहन को विनियमित करते हुए इसकी निगरानी रखी जानी चाहिए।

रेत का खनन मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन विभाग की परिधि में आता है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन गठित (जनवरी 2008) राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया), मुख्य एवं गौण, दोनों खनिजों की खनन गतिविधियों के लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी करता है। रेत एवं बजरी सहित गौण खनिजों के पाँच हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक खनन परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण स्वीकृति के लिए भारत शासन द्वारा जिला स्तर पर्यावरण प्रभाव आँकलन प्राधिकरण (डिया) का गठन (जनवरी 2016) किया गया था। डिया में चार सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनमें से तीन शासकीय अधिकारी[5] और एक पर्यावरण के क्षेत्र का विशेषज्ञ होता है।

तैतीस जिलों में स्थित 4,537 हेक्टेयर क्षेत्र में 586 रेत खदानों में खनन गतिविधियों को जिला प्रशासन द्वारा विनियमित किया जाता है जबकि शेष 18 जिलों में स्थित 4,318 हेक्टेयर क्षेत्र में 449 रेत खदानें रेत खनन के निष्पादन हेतु जिला कलेक्टरों द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) को आवंटित की जाती हैं।

[5] जिला कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी और वरिष्ठ वन मण्डलाधिकारी

मध्यप्रदेश शासन, म.प्र.रा.ख.नि.लि. को अनिवार्य किराये[6] या रॉयल्टी के आधार पर रेत की खदानें पट्टे पर देता है। म.प्र.रा.ख.नि.लि. नीलामी मूल्य के आधार पर रेत खनन के लिए ठेकेदारों को रेत की खदानों को उप–पट्टे पर देता है। विभाग के सीधे नियंत्रण के अंतर्गत रेत खदानों के मामले में जिला कलेक्टरों को नीलामी और बाद में खदानों के आवंटन और रेत की खदानों के पट्टों के नवीनीकरण पर नियंत्रण के लिए उत्तरदायी बनाया गया है। जिला कलेक्टर अवैध खनन के मामलों की जाँच और रोकथाम के लिए भी उत्तरदायी है। जिला कलेक्टरों को राजस्व के रूप में रॉयल्टी, अनिवार्य किराया, सतह का किराया, ब्याज और शास्ति की समय पर प्राप्ति तथा समय पर शासन के खाते में उनका प्रेषण भी सुनिश्चित करना चाहिए।

4.5.2 संगठनात्मक संरचना

खनिज साधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के सचिव खनिज साधन विभाग के समग्र प्रभार के अधीन कार्य करता है संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म विभाग के प्रमुख हैं, जिनकी सहायता मुख्यालय के एवं ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और रीवा में क्षेत्रीय कार्यालयों के उप संचालकों द्वारा की जाती है। कलेक्टर जिला स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख हैं और राजस्व संग्रहण से संबंधित उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने में जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं खनिज निरीक्षकों जैसे विभागीय अधिकारी सहायता करते हैं।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा 18 जिलों में रेत खदानें मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (म.प्र.रा.ख.नि.लि.) के लिए आरक्षित की गई थी। मध्यप्रदेश रा.ख.नि. लिमिटेड, निगम के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में संचालक मंडल द्वारा संचालित है एवं एक कार्यपालक संचालक, मुख्य महाप्रबंधकों एवं महाप्रबंधकों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। म.प्र.रा.ख.नि.लि. को आवंटित खदानों के लिए लीज अनुबंध जिला कलेक्टर और म.प्र.रा.ख.नि.लि. के बीच निष्पादित की जाती है जहां जिला प्रशासन पट्टादाता है और म.प्र.रा.ख.नि.लि. पट्टेदार है। इसके बाद म.प्र.रा.ख.नि.लि. रेत की खदानें ठेकेदारों को उप–पट्टे पर देता है।

4.5.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संपादित की गयी कि:

- अनुबंधित मात्रा से अधिक अवैध खनन को रोकने के लिए रेत खनन पट्टों का आवंटन/नवीकरण समय पर किया गया;
- फ़ीस, किराया, रॉयल्टी, शास्ति आदि जैसे राजस्व का उद्ग्रहण एवं संग्रहण समय पर और सही ढंग से किया गया;
- रेत खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए प्रभावी नियंत्रण विद्यमान था जिससे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबद्ध चिंतनीय मुद्दों पर उचित रूप से चौकसी रखी जा सके।

4.5.4 कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

"रेत खनन और पर्यावरणीय परिणाम" की लेखापरीक्षा में 2012–13 से 2016–17 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा ने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति

[6] अनिवार्य किराया लीज धारक द्वारा खनन पट्टे में सम्मिलित उस क्षेत्र के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रभार/शुल्क है जहाँ से खनिज नहीं निकाले जा रहे हैं। सक्रिय खदानों के मामले में यदि रॉयल्टी अनिवार्य किराए से अधिक है, तो केवल रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है और रॉयल्टी के विरूद्ध अनिवार्य किराया समायोजित किया जाता है

के आधार पर खनिज विभाग की 18 इकाईयों[7] (33 जिला खनिज अधिकरियों में से 11 और म.प्र.रा.ख.नि.लि. को आवंटित 18 जिलों में से 7) का चयन किया।

मध्यप्रदेश के 51 जिलों में कुल 1,035 रेत खदानों (2012–13 से 2016–17 के दौरान ₹ 1,057.44 करोड़ का राजस्व सन्निहित) में से लेखापरीक्षा में 18 चयनित जिलों में ₹ 470.43 करोड़ (44 प्रतिशत) के राजस्व की 638 रेत खदानों के अभिलेखों की जाँच की गई। विभाग शेष रेत खदानों के अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच यह सुनिश्चित करने के लिए कर सकता है कि उन्होंने सही मात्रा में रॉयल्टी/अनुबंध राशि/अनिवार्य किराए का भुगतान किया है।

जनवरी से जून 2017 के बीच स्थानीय लेखापरीक्षा की गई। 22 मार्च 2017 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन में सचिव, खनिज साधन विभाग के साथ लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। प्रारुप रिपोर्ट अगस्त 2017 में शासन और विभाग को भेजी गयी थी तथा 6 अक्टूबर 2017 को विभाग के सचिव और संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म के साथ आयोजित निर्गम सम्मेलन में विभाग/शासन से प्राप्त उत्तर संबंधित कण्डिकाओं में सम्मिलित किए गए हैं।

अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी और अभिलेख प्रदान करने में विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृति दी जाती है।

4.5.5 लेखापरीक्षा के मानदंड

लेखापरीक्षा के मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए हैं:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए धारणीय (सतत) रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016;
- मध्यप्रदेश रेत खनन नीति 2015;
- मध्यप्रदेश खनिज नीति 2010;
- मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006;
- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996;
- खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957; और
- केंद्र/राज्य शासन एवं संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी अधिसूचनाएँ तथा परिपत्र।

4.5.6 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

विगत पाँच वर्षों के दौरान खनिज संसाधन विभाग की कुल प्राप्तियों के विरूद्ध रेत खनन से प्राप्ति की प्रवृत्ति निम्नानुसार है:

[7] अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छिंदवाड़ा, दमोह, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खरगौन, पन्ना, राजगढ़, सीहोर, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उज्जैन

तालिका 4.2
प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल खनन प्राप्तियाँ (मुख्य एवं गौण खनिजों से)	रेत खनन से कुल प्राप्तियां	कुल खनन प्राप्तियों पर रेत खनन प्राप्तियों का प्रतिशत
2012–13	2,443.39	184.93	7.57
2013–14	2,306.17	179.41	7.78
2014–15	2,813.66	238.64	8.48
2015–16	3,059.64	214.30	7.00
2016–17	3,168.28	240.16	7.58
योग	**13,791.14**	**1,057.44**	**7.67**

(स्रोतः मध्यप्रदेश शासन के वित्त लेखे एवं विभाग द्वारा दी गई जानकारी)

विभाग ने रेत खनन प्राप्तियों में उतार–चढ़ाव के लिए 2013–14 में पर्यावरण स्वीकृति को आवश्यक बनाए जाने से खनन गतिविधियों में विराम लगने व 2015–16 में ई–नीलामी प्रक्रिया आगमन से खदानों के आवंटन में हुये विलंब को उत्तरदायी बताया (दिसम्बर 2017)। साथ ही राष्ट्रीय हरित अभिकरण व अन्य न्यायालयों में प्रकरणों के लंबित रहने के कारण खनन गतिविधियों में कमी रही।

स्पष्टीकरण पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है कि 2013–14 में कुल खनन (रेत खनन सहित) प्राप्तियाँ कम थी। यद्यपि, 2015–16 में रेत खनन प्राप्तियों में उल्लेखनीय कमी आई तथापि 2015–16 में कुल खनन प्राप्तियों में कोई कमी नहीं हुई थी (इसे भी कम होना था यदि ई–नीलामी आवंटन में विलंब का एक कारक था) इसके अलावा, विभाग के स्पष्टीकरण (जो कुल खनन और रेत खनन को समान रूप से प्रभावित करता है) इस अवधि के दौरान कुल खनन प्राप्तियों में रेत खनन के प्रतिशत में उतार–चढ़ाव के कारणों पर प्रकाश नहीं डालते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.5.7 खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए अपर्याप्त मानव शक्ति

स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति पर्याप्त नहीं थी। राज्य में खनन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए केवल 21 खनिज अधिकारी और 98 खनिज निरीक्षक पदस्थ किए गए थे। कर्मचारियों की कमी के कारण, खनन गतिविधियों की निगरानी पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकी। इसके अलावा, राजस्व वसूली भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी।

ख.अ. और ख.नि. विभाग के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक के स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत व्यक्तियों की स्थिति मध्यप्रदेश के कुल खनन क्षेत्र के हिसाब से पर्याप्त नहीं थी। स्वीकृत पदों और कार्यरत व्यक्तियों का विवरण **तालिका 4.3** में दिया गया है।

तालिका 4.3
खनन गतिविधियों के लिए अपर्याप्त मानव शक्ति

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत कार्मिक संख्या	स्थिति में कार्मिक	कमी	कमी का प्रतिशत
1.	खनिज अधिकारी	31	21	10	32.26
2.	खनिज निरीक्षक	112	98	14	12.50

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि केवल 21 खनिज अधिकारियों को 51 जिलों में पदस्थ किया गया था, यहाँ तक कि उनकी स्वीकृत संख्या भी कम थी। इसी तरह 367 तहसीलों में, खनिज निरीक्षकों की स्वीकृत संख्या केवल 112 थी अर्थात् तीन से अधिक तहसीलों में केवल एक खनिज निरीक्षक था, एवं इसके विरूद्ध केवल 98 खनिज निरीक्षक पदस्थ किए गए थे। विभाग कम मानव शक्ति की संख्या के साथ कार्य कर रहा था; इस तथ्य के बावजूद कि खनन गतिविधियों के नियमन के अतिरिक्त इसे पर्यावरण की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी दिया गया था।

अनुशंसाः

विभाग खनिज अधिकारियों और खनिज निरीक्षकों को विद्यमान स्वीकृत पदों की समीक्षा करे और यह भी सुनिश्चित करे कि सभी मौजूदा रिक्तियों को भरा जाए।

4.5.8 रेत खदानों की नीलामी

ई–नीलामी प्रक्रिया में अपूर्णता एवं नीलामी में आरक्षित मूल्य के कम निर्धारण के परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति हुई जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

4.5.8.1 ई–नीलामी प्रक्रिया में कमियाँ

ई–नीलामी में सफ़ल बोलीदाताओं को जो अनुबंध का निष्पादन करने में विफ़ल रहे उन्हें कालीसूची में डालने के लिए कोई नियम नहीं बनाये गये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि (अप्रैल 2017) कि, आरक्षित मूल्य के दस प्रतिशत पर सुरक्षा जमा को राजसात करने के अलावा, विभाग ने ई–नीलामियों में सफल बोली लगाने वाले, जो अनुबंधों को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, उन्हें कालीसूची में डालने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है।

छिंदवाड़ा में, अक्टूबर 2015 और मई 2016 के मध्य आयोजित ई–नीलामी के दौरान, पाँच रेत खदानों में ₹ 6.23 करोड़ के आरक्षित मूल्य के विरूद्ध ₹ 46.71 करोड़ की वार्षिक बोली प्राप्त हुई थी, लेकिन सफल बोलीदाता अनुबंध को निष्पादित करने में विफ़ल रहे। विभाग ने ₹ 62.34 लाख की सुरक्षा जमा को राजसात कर लिया और इन खदानों (तीन से पाँच महीनों के बाद) की ₹ 20.10 करोड़ के लिए पुनः नीलामी की गई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान शासन ने बताया कि सुरक्षा जमा को नीलामी मूल्य के 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह की सांकेतिक वृद्धि की ऐसे निविदाकारों के प्रति निवारक के रूप में कार्य करने की संभावना नहीं है, जो बोलियाँ निष्पादित करने में विफल रहते हैं।

अनुशंसाः

विभाग को या तो सुरक्षा जमा आरक्षित मूल्य के बराबर बढ़ाना चाहिए या भविष्य में बोली प्रक्रिया में भाग लेने से इस तरह की प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए ऐसे दोषियों को कालीसूची में डालना चाहिए।

4.5.8.2 रेत खदान की नीलामी के लिए कम आरक्षित मूल्य का निर्धारण

जिला कलेक्टरों द्वारा रेत की अनुमानित मात्रा के स्थान पर अनिवार्य किराया को आरक्षित मूल्य के रूप में निर्धारित करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.37 करोड़ की रॉयल्टी कम प्राप्त हुई।

संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म ने आदेश दिया (मार्च 2013 एवं नवंबर 2014) कि गौण खनिज की नीलामी के लिए उपलब्ध खनिज की अनुमानित मात्रा पर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा दो जिला खनिज अधिकारी कार्यालयों बालाघाट और उज्जैन की 31 रेत खदानों की नीलामी (दिसंबर 2014) के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि संबंधित जिला कलेक्टरों ने बालाघाट में 19 रेत खदानों और उज्जैन में 12 खदानों में रेत की मात्रा का अनुमान लगाए बिना अनिवार्य किराए के आधार पर आरक्षित मूल्य ₹ 1.31 करोड़ निर्धारित किया था। तथापि, ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत खनन योजना से लेखापरीक्षा में पाया गया कि बालाघाट में रेत की मात्रा 10.39 लाख घनमीटर और उज्जैन में 67,830 घनमीटर थी, जिसके आधार पर रेत की ₹ 100 प्रति घनमीटर की रॉयल्टी की दर से ₹ 11.07 करोड़[8] पर आरक्षित मूल्य तय किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, कम आरक्षित मूल्य के निर्धारण के कारण, नीलामी राशि केवल ₹ 7.70 करोड़ वसूल हुई जिसके परिणामस्वरूप राजकोष के लिए ₹ 3.37 करोड़ का कम राजस्व वसूल हुआ।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने बताया कि 2015 में रेत खनन नीति प्रभावशील होने तक रेत की खदानों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि मार्च 2013 के विभागीय परिपत्र में यह निर्धारित था कि सभी गौण खनिजों के नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य उपलब्ध खनिज की अनुमानित मात्रा पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

4.5.9 अनुबंध प्रबंधन

उनचास रेत खदानों मे अनुबंध राशि का कम मूल्यांकन/वसूली, विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम आरोपण एवं अनियमित अस्थायी परमिट जारी करने के परिणामस्वरूप ₹ 4.68 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। इसके अलावा, रेत की अनुबंधित मात्रा के कम खनन के कारण ₹ 136.69 करोड़ की रॉयल्टी की हानि हुई।

4.5.9.1 रेत खदान में अनुबंध राशि एवं विलंबित भुगतान पर ब्याज की कम प्राप्ति

व्यापारिक खदानों से आय के रजिस्टर के संधारण में जिला खनिज अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की अनुबंध राशि की कम वसूली हुई और ₹ 2.35 करोड़ के ब्याज की कम प्राप्ति हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों और अनुबंध की मानक शर्तें निर्धारित करती हैं कि व्यापारिक खदान के ठेकेदार निर्धारित दिनांक से एक महीने से अधिक तक अनुबंध राशि का भुगतान करने में असफल रहे तो अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा और खदान फिर से नीलाम की जाएगी। इसके अलावा, चूक की अवधि के लिए 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाया जाएगा।

[8] 11,06,830 घ.मी. रेत (10,39,000+67,830) @ 100 प्रति घ.मी. रेत = ₹ 11.07 करोड़

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि पाँच जिला खनिज कार्यालयों[9] में 18 ठेकेदारों ने अप्रैल 2016 और जनवरी 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.79 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध केवल ₹ 40.53 लाख की अनुबंध राशि चुकायी थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ की कम वसूली हुई। तथापि, विभाग ने अनुबंध रद्द करने और खदानों की पुनः नीलामी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

इसके अतिरिक्त, आठ जिला खनिज कार्यालयों[10] में, व्यापारिक खदानों के 36 ठेकेदारों ने अनुबंध राशि (वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए) के भुगतान में 8 से 391 दिनों का विलंब किया था, जिस पर, उन्होंने भुगतान योग्य ₹ 2.49 करोड की राशि के विरूद्ध ₹ 13.76 लाख का ब्याज चुकाया था। विभाग ने ₹ 2.35 करोड़ के ब्याज के अंतर की राशि की वसूली के लिए माँग पत्र जारी नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया गया कि नौ जिला खनिज कार्यालयों में से किसी ने भी अनुबंध राशि की समय पर प्राप्ति और विलंबित भुगतान पर ब्याज के आरोपण की निगरानी हेतु फॉर्म 23 में व्यापारिक खदानों से आय की पंजी संधारित नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय पर अनुबंध राशि संग्रहित करने और विलंबित भुगतान पर ब्याज आरोपण में विफलता हुई।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया और आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति की निगरानी रखी जाएगी।

4.5.9.2 रेत खनन के परमिट का अनियमित रूप से जारी करना

उप–ठेकेदार को अनियमित रूप से परमिट जारी हुआ एवं रेत के परमिट के संबंध में ₹ 95.69 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली हुई।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार, जिला खनिज अधिकारी किसी भी निर्दिष्ट खदान से किसी भी गौण खनिज के उत्खनन, स्थानांतरण और परिवहन के लिए अनुमति प्रदान करेगा। ऐसी अनुमति केवल संबंधित विभागीय प्राधिकारी या उसके अधिकृत ठेकेदार को ठेका सौंपने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा रॉयल्टी के अग्रिम भुगतान पर दी जाएगी।

लेखापरीक्षा में अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (जून 2017) कि जिला खनिज अधिकारी, सीधी ने एक ठेकेदार को एनएच–75 के सड़क निर्माण कार्यों के लिए रेत खनन का परमिट जारी किया था (जून 2013)। जिला खनिज अधिकारी ने एक उप–ठेकेदार को अस्थायी परमिट जारी किया जो मूल ठेकेदार के अतिरिक्त था और जिसके लिए शासकीय अभिकरण द्वारा कार्य नहीं दिया गया था। यह आगे देखा गया कि यद्यपि रेत की मात्रा का उल्लेख किए बिना अस्थायी परमिट जारी किया गया था, उप–ठेकेदार ने 1,00,000 घ.मी. की मात्रा के लिए पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया था। आगे यह भी देखा गया कि रेत की मात्रा पर अग्रिम रॉयल्टी भी वसूल नहीं की गयी थी। ठेकेदार ने रूपये एक करोड़ (1,00,000 घ.मी. के लिए 100 प्रति घ.मी. की दर से) की देय रॉयल्टी के विरूद्ध ₹ 4.31 लाख का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप, न केवल ₹ 95.69 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई बल्कि इस ठेकेदार को शासकीय निर्माण कार्य का ठेका प्राप्त होने के साक्ष्य प्राप्त किए बिना अनियमित परमिट जारी किया गया।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति देखी जाएगी।

---

9 अनूपपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, सिवनी और उज्जैन

10 अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह, पन्ना, सिवनी, शहडोल और सिंगरौली

4.5.9.3 पट्टा अनुबंध में त्रुटि के कारण हानि

म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने शासन को ₹ 136.69 करोड़ की रॉयल्टी नहीं दी क्योंकि म.प्र. शासन के साथ म.प्र.रा.ख.नि.लि. के लीज अनुबंध में ठेकेदारों से म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा प्राप्त रॉयल्टी की संपूर्ण राशि जमा करना निर्धारित नहीं था।

शासन और म.प्र.रा.ख.नि.लि. के बीच पट्टा के अनुबंध के अनुसार, म.प्र.रा.ख.नि.लि. को रेत की खपत एवं प्रेषित मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान करना था। दूसरी ओर, म.प्र.रा.ख.नि.लि. और ठेकेदारों के बीच निष्पादित अनुबंध के अनुसार, ठेकेदारों को अनुबंधित मात्रा पर म.प्र.रा.ख.नि.ल. को कुल राशि (रॉयल्टी + लाभ मार्जिन + कर) का भुगतान करना था।

लेखापरीक्षा ने म.प्र.रा.ख.नि.लि. के सात चयनित जिलों में 386 रेत खदानों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि 372 मामलों में ठेकेदारों ने 2013–14 से 2016–17 की अवधि के लिए 226.29 लाख घ.मी. रेत की अनुबंधित मात्रा के विरूद्ध 109.13 लाख घ.मी. का खनन किया था। ठेकेदारों ने रेत की अनुबंधित मात्रा पर ₹ 257.91 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया था। तथापि, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने शासकीय खाते में वास्तविक रूप से कम खपत और प्रेषित मात्रा की रेत पर प्राप्त होने वाले राजस्व केवल ₹ 121.22 करोड़ जमा किए। इस प्रकार, म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने शासन को ₹ 136.69 करोड़ की रॉयल्टी जमा नहीं की क्योंकि मध्यप्रदेश शासन के साथ म.प्र.रा.ख.नि.लि. के लीज अनुबंध में ठेकेदारों से म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा प्राप्त रॉयल्टी की संपूर्ण राशि जमा करना निर्धारित नहीं था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति देखी जाएगी।

अनुशंसाः

विभाग को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के साथ अनुबंध में संशोधन करना चाहिए जिससे म.प्र.रा.ख.नि.लि. से अनुबंधित मात्रा या वास्तव में खपत हुई और प्रेषित रेत की मात्रा, जो भी अधिक हो, उस पर रॉयल्टी संग्रह किया जाए, जिससे शासन को राजस्व हानि वहन न करना पड़े।

4.5.9.4 पूरक अनुबंध का निष्पादन नहीं करने के कारण स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस का आरोपण नहीं किया गया

शासन के आदेशों के बावजूद पट्टों के पूरक अनुबंधों के निष्पादन एवं पंजीयन नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.44 करोड़ के स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस का आरोपण नहीं किया गया।

मध्यप्रदेश शासन ने म.प्र.रा.ख.नि.लि. को आवंटित रेत खदानों की मौजूदा लीज अवधि अप्रैल 2010 से 10 वर्षों के लिए विस्तारित (जून 2014) की थी और म.प्र.रा.ख.नि.लि. को विस्तारित अवधि के लिए पूरक अनुबंधों को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश दिया था।

लेखापरीक्षा द्वारा म.प्र.रा.ख.नि.लि. से संबंधित चार जिलों हरदा, होशंगाबाद, खरगोन और टीकमगढ़ के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि 64.31 लाख घ.मी.[11] की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ 37 रेत खदानों की पट्टे की अवधि अप्रैल 2010 से मार्च 2020 तक अगले दस वर्ष के लिए बढ़ायी गयी थी। इन खदानों के लिए पूरक अनुबंधों को म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा निष्पादित और पंजीकृत नहीं किया गया था, जबकि, म.प्र.गौण खनिज नियमों के नियम 26 के अंतर्गत यह अनिवार्य था। इन रेत खदानों की उत्पादन

[11] अप्रैल 2013 और मार्च 2014 के बीच प्रस्तुत खनन योजनाओं के अनुसार

क्षमता के आधार पर, अनुमान लगाया गया है कि इन खदानों के लिए नवीन पट्टे को निष्पादित करने और पंजीकृत करने में विफलता के चलते मध्यप्रदेश शासन को ₹ 8.44 करोड़ के स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस से वंचित कर दिया गया था।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति देखी जाएगी।

4.5.10 पर्यावरण प्रबंधन

4.5.10.1 जिला खनिज फाउंडेशन के लिए निधि संग्रह करने के प्रावधान का अभाव

विभाग ने राज्य में गौण खनिजों के संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन (जि.ख.फा.) को भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण नहीं किया था। परिणामस्वरूप खनन प्रभावित क्षेत्रों/व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई निधियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

2015 में संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अनुसार राज्य शासन गौण खनिजों के खनिज रियायत[12] धारकों द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (जि.ख.फा.) को भुगतान की जाने वाली अंशदान राशि एवं खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के लाभ के लिए जि.ख.फा. निधि के उपयोग का तरीका निर्धारित कर सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य शासन ने संशोधित अधिनियम के प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। इसके बाद, नई रेत खनन नीति, 2017 (दिसंबर 2017 में जारी) ने निर्धारित किया कि रेत पर रॉयल्टी में से ₹ 50 प्रति घन मीटर की दर से जि.ख.फा. को भुगतान किया जाएगा। अन्य गौण खनिजों के संबंध में अंशदान अब तक निर्धारित नहीं किया गया (अप्रैल 2018)। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति देखी जाएगी।

4.5.10.2 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया) द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तन्त्र का अभाव

रेत खनन के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गई शर्तों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए विभाग ने कोई भी तन्त्र विकसित नहीं किया गया।

रेत खनन पट्टे के लिए सफल बोलीदाताओं को राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (सिया) से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति लेना आवश्यक है। सिया द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति में विस्तृत निबंधन और शर्तें शामिल हैं, जिन्हें खनन गतिविधियों के दौरान पट्टेदार द्वारा पालन किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण नियम और शर्तें थीं: (1) गड्ढे की औसत गहराई तीन मीटर या पानी के स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो भी कम हो; (2) खनन गतिविधि को मानवीय रूप से किया जाना चाहिए, किनारों पर रेत भरने के लिए भारी वाहनों की अनुमति नहीं है; (3) जलधारा में खनन की अनुमति नहीं है; (4) किनारों पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए; और (5) स्थापित

[12] खनिज रियायत का अर्थ है एक पूर्व परीक्षण परमिट, एक गैर अनन्य टोहना परमिट, एक पूर्वेक्षण लाइसेंस, एक पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा, या एक खनन पट्टा, जैसा लागू हो

जलधारा को सरकाना, सुदृढ़ीकरण करना, या परिवर्तित नहीं किया जाना। यदि इनमें से किसी भी शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, तो रेत खदानों के पट्टे निरस्त किए जा सकते हैं।

नदी के प्रवाह को बदलकर रेत की खदानों में भारी मशीनरी के उपयोग से रेत के खनन का एक दृश्य

(स्रोतः खनिज निरीक्षक, सिंगरौली की रिपोर्ट)

लेखापरीक्षा में 18 चयनित जिलों में 638 रेत खदानों के अभिलेखों की नमूना जाँच एवं रेत खदानों से सम्बंधित पत्राचार नस्तियों और खनिज निरीक्षकों के प्रतिवेदनों की जाँच में पाया गया कि चार जिला खनिज कार्यालयों[13] में 18 प्रकरणों में खनन गतिविधियाँ भारी मशीनरी द्वारा की गयी थी और नदी तट के समीप भारी वाहनों से रेत का परिवहन किया गया था। खनन के लिए नदी की धारा को परिवर्तित कर और नदी में सड़क निर्माण कर जल धारा में खनन कर नदी को भारी क्षति पहुंचायी गयी। संबंधित जिला खनिज अधिकारियों ने पट्टेदारों/ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी (जून 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य) किए थे। इनमें से केवल जिला खनिज अधिकारी सिंगरौली ने तीन मामलों में सुरक्षा जमा में से ₹ 1.62 लाख राजसात कर लिये जहाँ ठेकेदार को दोषी पाया गया था, और शेष 15 मामलों में संबंधित जिला खनिज अधिकारी ठेकेदारों की सहभागिता स्थापित नहीं कर सके थे।

विभाग ने रेत खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक कुशल तंत्र विकसित नहीं किया था। पर्यावरण संबंधी स्वीकृति से संबंधित मुद्दों पर निकट से निगरानी रखने और रेत खनन के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से आश्वासन प्राप्त करने के लिए कोई भी आवधिक विवरणी निर्धारित नहीं की गयी थी। इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई जिसके लिए सिया की स्थापना हुई थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने ऐसी अनियमितताओं पर निगरानी रखने और कार्यवाही करने में विफलता के लिये विभाग में विद्यमान मानवशक्ति की कमी को उत्तरदायी ठहराया।

अनुशंसाः

विभाग रेत खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। इस उद्देश्य के लिए, विभाग पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मुद्दों की बारीकी से निगरानी करने के लिए आवधिक विवरणी निर्धारित कर सकता है।

[13] अनूपपुर, बालाघाट, पन्ना और सिंगरौली

4.5.10.3 ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने के क्रियान्वयन में विफलता

विभाग त्रैमासिक विवरणी की ऑनलाइन फाइलिंग को सक्षम करने के लिए खनिज वाहक मालिकों को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान करने में विफल रहा।

वर्ष 2012 में संशोधित मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के संदर्भ में, खनिजों के परिवहन के लिए सभी वाहन/वाहक विभाग के साथ पंजीकृत होंगे। इसके अलावा, पंजीकृत वाहकों के मालिकों को परिवहन किए गए खनिजों का विवरण देकर ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नियमों में संशोधन के पाँच वर्ष बाद भी, विभाग ने खनिज वाहकों द्वारा ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने के लिए किसी भी प्रणाली या मॉड्यूल का विकास नहीं किया। खनिजों के खनन और परिवहन की गई मात्रा पर निगरानी के अभाव में अवैध खनन और पर्यावरण को क्षति की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने स्वीकार किया कि खनिज वाहकों द्वारा त्रैमासिक विवरणी जमा नहीं की गई थीं क्योंकि विभाग द्वारा खनिज वाहकों के लिए लॉग–इन पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था।

अनुशंसाः

विभाग मॉड्यूल विकसित कर सकता है और ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए खनिज वाहकों को लॉग–इन एक्सेस प्रदान कर सकता है।

4.5.10.4 अवैध खनन को रोकने के लिए अपर्याप्त जाँच चौकियाँ

रेत के अवैध परिवहन को रोकने के लिए पर्याप्त जाँच चौकियाँ स्थापित नहीं की गई थीं।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम और खनिज नीति के अनुसार, अवैध खनन और खनिजों के परिवहन पर प्रभावी सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक कर, वन और परिवहन विभागों के समन्वय में जाँच चौकियाँ स्थापित की जानी थीं।

मार्च 2017 तक 11 जिलों में केवल 62 जाँच चौकियाँ अधिसूचित की गई थीं, और शेष 40 जिलों के लिए कोई जाँच चौकियाँ अधिसूचित नहीं की गई थीं। 62 अधिसूचित जाँच चौकियों में से केवल सात जाँच चौकियाँ[14] कार्य कर रही हैं, और शेष 55 अधिसूचित जाँच चौकियाँ स्थापित नहीं की गई हैं। इस प्रकार, अवैध खनन को कम करने के लिए विभाग की क्षमता सीमित थी।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी, लेकिन यह भी कहा गया कि विद्यमान नियमों में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि वाहनों की गतिविधियों की अब ई–ट्रांजिट पास के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ई–ट्रांजिट पास के माध्यम से केवल वैध रेत परिवहन की निगरानी की जा सकती है।

[14] सीहोर में चार, टीकमगढ़ में दो और रायसेन में एक

अनुशंसाः

अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए विभाग प्रत्येक जिलों में पर्याप्त संख्या में जाँच चौकियाँ स्थापित कर सकता है।

4.5.11 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

4.5.11.1 पर्यावरण प्रबंधन योजना की निगरानी और अनुपालन का अभाव

पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन की निगरानी के लिए 18 चयनित जिलों में से केवल एक जिले में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत की गई थी। इसके अलावा, केवल दो जिलों में पर्यावरण प्रबंधन योजना उपलब्ध थी।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार जिन ठेकेदारों को खनन के लिए क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है, उन्हें जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन और निगरानी के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है और उसके बाद, पर्यावरण प्रबंधन योजना की पूर्ति पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना होता है।

लेखापरीक्षा में 18 चयनित जिलों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि पर्यावरण प्रबंधन योजना केवल अनूपपूर और राजगढ़ जिलों में उपलब्ध थी, और त्रैमासिक प्रतिवेदन केवल अनूपपूर जिले में ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, कलेक्टर या जि.ख.अ. द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना की निगरानी और रेत खदानों के निरीक्षण के संबंध में पुष्टि में कोई प्रतिवेदन या अन्य अभिलेख किसी भी जिले में नहीं पाए गए थे। यह दर्शाता है कि जिला खनिज अधिकारियों में से किसी ने भी पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन की निगरानी नहीं की है। पर्यावरण प्रबंधन योजना की अनुपलब्धता के कारण एवं त्रैमासिक प्रतिवेदनों को न जमा करने और उनकी निगरानी की कमी के कारण विभाग, पर्यावरण पर रेत खनन गतिविधियों के प्रभाव का आकलन नहीं कर सका। इसके अलावा, जिला खनिज अधिकारियों ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के संबंध में ठेकेदारों को कोई निर्देश नहीं दिये थे।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने मानव शक्ति की कमी के कारण निगरानी में चूक को जिम्मेदार ठहराया। यह आगे कहा गया था कि पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित मामले डिया से संबंधित थे।

यह उत्तर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियमों के साथ–साथ विभागों का परिपत्र (सितंबर 2014) जिला कलेक्टर को पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन को सुनिश्चित करने की अपेक्षा करता है।

4.5.11.2 खनिज व्यापारियों द्वारा विवरणी प्रस्तुत न करना एवं मॉनीटरिंग का अभाव

18 चयनित जिला खनिज कार्यालयों में केवल 13.50 प्रतिशत पंजीकृत खनिज व्यापारियों ने त्रैमासिक विवरणी जमा की थी और इसके परिणामस्वरूप, जिला खनिज अधिकारी व्यापारियों द्वारा रेत के स्टॉक की स्थिति, विक्रय और खरीद की निगरानी नहीं कर सके।

मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियमों के अनुसार सभी खनिज व्यापारियों को त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जो कि खनिजों के स्टॉक और बिक्री के विवरण देते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 चयनित जिला खनिज कार्यालयों में 67 पंजीकृत रेत व्यापारियों में से केवल नौ रेत व्यापारियों ने त्रैमासिक विवरणी जमा किये गये थे। इस प्रकार, जिला खनिज अधिकारियों ने शेष रेत व्यापारियों द्वारा त्रैमासिक विवरणी जमा करने को सुनिश्चित नहीं किया और इस प्रकार खनिज व्यापारियों द्वारा रेत के स्टॉक की स्थिति, विक्रय और रेत की क्रय की निगरानी नहीं की।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति देखी जाएगी।

4.5.11.3 विभागीय मैनुअल एवं आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का अभाव

विभाग के पास कोई विभागीय मैनुअल और आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी। जिसके अभाव में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राजस्व का निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रह आदि की जाँच एवं संतुलन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं थी और 2012–13 से 2016–17 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। इसके अलावा, विभाग के पास विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के कार्यों और जिम्मेदारियों का विवरण देने वाला कोई विभागीय मैनुअल नहीं था। इनकी अनुपस्थिति में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन, आरोपण और राजस्व संग्रहण के लिए विभिन्न जाँच और संतुलन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है जिसकी पूर्ववर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है।

निर्गम सम्मेलन (अक्टूबर 2017) के दौरान, विभाग ने आश्वासन दिया कि उचित कार्यवाही की जाएगी। लेखापरीक्षा में इस संबंध में प्रगति देखी जाएगी।

अनुशंसाः

विभाग को विभागीय मैनुअल तैयार करना चाहिए तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित करना चाहिए।

4.5.12 निष्कर्ष

- विभाग अपर्याप्त मानवशक्ति के साथ कार्य कर रहा है और आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा और विभागीय मैनुअल नहीं है। इन के अभाव में, विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा राजस्व के आरोपण, संग्रहण आदि के आंकलन, हेतु प्रयोग की जाने वाली विभिन्न जाँचें सुनिश्चित नहीं की जा सकी थीं। पूरक अनुबंधों के निष्पादन नहीं करने, न्यून आरक्षित मूल्य निर्धारण, रॉयल्टी का अव निर्धारण, अनुबंध राशि की कम प्राप्ति, विलंबित भुगतान पर ब्याज का आरोपण न करने और परमिट के अनियमित जारी किये जाने से ₹ 16.49 करोड़ के राजस्व की कम वसूली के मामले संज्ञान में आए।

- म.प्र.रा.ख.नि.लि. ने ठेकेदारों से रेत की अनुबंधित मात्रा पर ठेकेदारों से ₹ 257.91 करोड़ की रॉयल्टी वसूल की लेकिन वास्तविक उत्खनन की मात्रा पर शासन को ₹ 121.22 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया क्योंकि शासन और म.प्र.रा.ख.नि.लि. के बीच पट्टे अनुबंध में ठेकेदार से म.प्र.रा.ख.नि.लि. द्वारा प्राप्त रॉयल्टी की संपूर्ण राशि जमा किया जाना निर्धारित नहीं था।

- विभाग ने रेत खनन के लिए सिया द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी के लिए कोई भी तन्त्र विकसित नहीं किया गया।

- विभाग ने पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन की निगरानी के लिए निर्धारित त्रैमासिक प्रतिवेदन जमा करना सुनिश्चित नहीं किया। इसलिए, विभाग पर्यावरण पर रेत खनन गतिविधियों के प्रभाव का आंकलन नहीं कर सका।

- विभाग ने मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम, 2006 के नियम 5 ए में निर्धारित रूप में (अप्रैल 2012) खनिज वाहकों द्वारा ऑनलाइन त्रैमासिक विवरणी जमा करने के लिए किसी भी प्रणाली या मॉड्यूल का विकास नहीं किया है।

अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रेक्षण

4.6 रॉयल्टी एवं संविदा राशि की अवसूली/कम वसूली

अठ्ठारह जिला खनिज कार्यालयों में 58 पट्टेदारों और 11 ठेकेदारों से ₹ 62.50 करोड़ की रॉयल्टी को वसूल नहीं/कम वसूल किया गया।

4.6.1 खनन पट्टा

मध्यप्रदेश खदान एवं खनिज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पट्टाधारी द्वारा अधिनियम की अनुसूची–II में निर्दिष्ट दरों पर पट्टे वाले क्षेत्र से खनिजों को हटाने या उनके उपयोग पर रॉयल्टी का भुगतान करना पड़ता है।

सात जिला खनिज कार्यालयों[15] के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि जाँचे गये 431 मुख्य खनिज पट्टेदारों में से 22 ने अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि में ₹ 116.16 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 55.66 करोड़ की रॉयल्टी का भुगतान किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 60.50 करोड़[16] की रॉयल्टी की या तो वसूली नहीं हुई या कम वसूली हुई। जिला खनिज अधिकारियों ने रॉयल्टी की बकाया राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के समान नहीं की।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि लेखापरीक्षा में इंगित 22 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों में ₹ 18.81 करोड़ की वसूली की गई एवं 10 प्रकरणों में ₹ 41.69 करोड़ की वसूली की कार्यवाही जारी थी।

4.6.2 व्यापारिक खदान

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार यदि ठेकेदार निर्धारित मात्रा से अधिक खनिजों की खुदाई कर स्थानांतरित करता है तो उस अतिरिक्त मात्रा के लिए प्रचलित दर पर रॉयल्टी के भुगतान हेतु बाध्य होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा दो जिला खनिज कार्यालयों[17] में 2015–16 की अवधि के लिए 22 व्यापारिक खदानों के दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान नौ व्यापारिक खदानों से 1,13,600.77 घ.मी. अधिक खनिजों की खुदाई हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.54 करोड़[18] का राजस्व कम वसूल हुआ।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही है। लेखापरीक्षा में आगामी कार्यवाही की निगरानी की जावेगी।

---

15 बालाघाट, धार, मण्डला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना और सीधी

16 जि.ख.अ. मण्डला (1 प्रकरण, ₹ 1.81 लाख), जि.ख.अ. सतना (2 प्रकरण, ₹ 5.19 करोड़), जि.ख.अ. नरसिंहपुर (1 प्रकरण, ₹ 1.15 लाख), जि.ख.अ. धार (4 प्रकरण, ₹ 5.58 लाख), जि.ख.अ. सीधी (3 प्रकरण, ₹ 13.71 करोड़), जि.ख.अ. रीवा (7 प्रकरण, ₹ 40.04 करोड़), जि.ख.अ. बालाघाट (4 प्रकरण, ₹ 1.47 करोड़)

17 हरदा और शहडोल

18 जि.ख.अ. हरदा (6 प्रकरण, ₹ 36.38 लाख), जि.ख.अ. शहडोल (3 प्रकरण, ₹ 17.69 लाख)

2011–12 से 2015–16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इसी प्रकार की आपत्तियाँ ली गई थी, लेकिन विभाग ने अनियमितताओं की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.6.3 उत्खनि पट्टा

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार पट्टेदार प्रत्येक खनिज के लिए अनिवार्य किराया या रॉयल्टी की राशियों में से जो भी अधिक हो, उस राशि का भुगतान करेगा, लेकिन दोनों का नहीं। जैसे ही पट्टेदार के द्वारा परिवहित/उपयोग किए गए खनिजों पर रॉयल्टी उसके द्वारा पूर्व में जमा अनिवार्य किराये के बराबर होगी, वह पट्टेवाले क्षेत्र से उपयोग या परिवहन हेतु लिये गये खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में पाया गया कि अप्रैल 2014 से मार्च 2016 की अवधि में नौ जिला खनिज कार्यालयों[19] के 852 प्रकरणों की नमूना जाँच में से 36 उत्खनिपट्टों में रॉयल्टी की राशि ₹ 0.46 करोड़ की कम वसूली हुई थी। इनमें से यद्यपि, जि.ख.अ ने तीन मामलों में ₹ दो लाख की माँग के सूचना पत्र जारी किये, जिसकी वसूली सुनिश्चित करने में वे असफल रहे, शेष मामलों में कोई सूचनापत्र जारी नहीं किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति की निगरानी की जावेगी।

2011–12 से 2015–16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की आपत्तियाँ ली गईं, लेकिन विभाग ने अनियमितताओं की रोकथाम के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.6.4 अस्थायी अनुज्ञापत्र

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार जि.ख.अ. किसी विशेष खदान या भूमि से किसी भी गौण खनिज को खोदने, हटाने एवं परिवहन की अनुमति प्रदान करेगा जिसकी किसी भी विभाग के कार्यों या केन्द्र शासन या राज्य शासन के किसी विभाग या उपक्रम के लिए आवश्यकता हो। इसके अलावा, ऐसी अनुमति केवल निर्दिष्ट दरों पर गणना की गई अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान पर दी जायेगी। साथ ही, ऐसी अनुमति निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक खनिजों की मात्रा से अधिक नहीं होगी और उसकी अवधि निर्माण कार्य की अवधि से अधिक नहीं होगी।

2015–16 की अवधि के लिये दो जि.ख.अ.[20] के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि जाँच किये गये छह अनुज्ञापत्रों में से दो अस्थाई पट्टा अनुज्ञापत्र ठेकेदारों को खुदाई करने, खनिजों को स्थानांतरित करने और सरकारी निर्माण कार्य में उपयोग करने हेतु जारी किये गये थे। यद्यपि जि.ख.अ द्वारा अग्रिम में देय रॉयल्टी की सम्पूर्ण राशि वसूली नहीं की गई, तथापि ठेकेदारों को आंशिक भुगतान पर अनुज्ञापत्र जारी किये गये। अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने वाले जिला कलेक्टरों ने जि.ख.अ द्वारा राजस्व प्राप्ति की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप विभाग ₹ एक करोड़[21] का राजस्व प्राप्त करने में असफल रहा।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही आरम्भ की गई है। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति पर निगरानी देखी जायेगी।

---

19 अलीराजपुर, भोपाल, बुरहानपुर, देवास, धार, नरसिंहपुर, रतलाम, शहडोल और टीकमगढ

20 सिवनी और कटनी

21 जि.ख.अ. सिवनी (1 प्रकरण, ₹ 40.00 लाख) और जि.ख.अ. कटनी (1 प्रकरण, ₹ 60.00 लाख)

2011–12 से 2015–16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार की आपत्तियाँ ली गईं, लेकिन विभाग ने अनियमितताओं की रोकथाम के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.7 ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर वसूल नहीं हुआ/कम वसूल हुआ और कर का भुगतान न करने पर शास्ति आरोपित नहीं की गयी

चार सौ इक्यावन निष्क्रिय खदानों में खनन पट्टेदारों द्वारा ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर ₹ 16.92 करोड़ या तो भुगतान नहीं हुआ था या कम भुगतान हुआ, जो ₹ 50.76 करोड़ के जुर्माने के साथ वसूली योग्य था।

मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास अधिनियम 2005 और मई 2006 की अधिसूचना के अनुसार निष्क्रिय खदानों पर प्रतिवर्ष ₹ 4,000 प्रति हेक्टेयर की दर से ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर खनन पट्टेदारों पर लगाया जाना था। जिन मामलों में कर का भुगतान नहीं किया गया हो, सक्षम प्राधिकारी देय कर के अधिकतम तीन गुणा तक सीमित शास्ति लगायेगा, बकाया कर और दण्ड की राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

चौदह जिला खनिज कार्यालयों[22] की खनन पट्टे के संबंध में मुख्य खनिजों की व्यक्तिगत प्रकरण नस्तियों की लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में पाया कि जि.ख.का. कटनी और जि.ख.का. सागर के एक–एक पट्टेदार द्वारा 2013–16 की अवधि के दौरान निष्क्रिय खदानों के लिये ग्रामीण अवसंरचना और सड़क विकास कर के रूप में ₹ 13.12 करोड़ की देय राशि के विरूद्ध ₹ 7.87 करोड़ का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त 449 पट्टेदारों ने ₹ 11.67 करोड़ के देय कर के विरूद्ध कोई भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरूप ₹ 16.92 करोड़ कम वसूल हुए/वसूल नहीं हुए और ₹ 50.76 करोड़ तक की शास्ति की राशि वसूली योग्य हो गई थी।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगामी प्रगति प्रतीक्षित होगी।

2011–12 से 2015–16 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी प्रकार के प्रेक्षण इंगित किये गये थे, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.8 पटटेदारों द्वारा एन.एम.ई.टी. कोष में अंशदान नहीं किया/कम अंशदान किया

एन.एम.ई.टी. रॉयल्टी जमा करने की निगरानी के लिए जिला कलेक्टरों और 11 जि.ख.अ. की विफलता के कारण 20 अनुज्ञापत्र धारकों से ₹ 8.11 करोड़ की कम प्राप्ति और 42 अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा ₹ 8.12 करोड़ रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया गया।

भारत शासन ने (अगस्त 2015 में) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) स्थापित किया है जिसके नियमों के अनुसार खनन पट्टाधारक या संभावित–सह–खनन पट्टा के धारकों–जो कि खनन के माध्यम से उत्पादन की स्थिति में हैं, को रॉयल्टी के आवधिक भुगतान के साथ रॉयल्टी के दो प्रतिशत के बराबर राशि संबंधित राज्य शासनों को भुगतान करना आवश्यक है। आगे यह भी निर्देशित किया गया कि रॉयल्टी

[22] बालाघाट, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, कटनी, मंदसौर, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, सीधी और टीकमगढ़

राज्य शासन के खाते में तब तक जमा नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि अनुज्ञापत्र धारक द्वारा एन.एम.ई.टी. कोष में अंशदान का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।

अप्रैल 2014 से मार्च 2016 की अवधि में 11 जि.ख.का.[23] के 353 अनुज्ञापत्र धारकों/पट्टेधारकों और रॉयल्टी के विवरण की व्यक्तिगत प्रकरण नस्तियों की लेखापरीक्षा नमूना–जाँच से ज्ञात हुआ कि 20 अनुज्ञापत्र धारकों ने एन.एम.ई.टी. कोष में ₹ 8.11 करोड़ कम जमा किये और 42 अनुज्ञापत्र धारकों ने उनके अंशदान ₹ 8.12 करोड़ के विरूद्ध कोई राशि जमा नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16.23 करोड़ की राशि की कम प्राप्ति हुई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति पर निगरानी रखी जायेगी।

4.9 विलम्बित भुगतानों पर ब्याज की वसूली न होना या कम वसूली होना

जिला खनिज अधिकारियों की 153 पट्टेदारों से अनिवार्य किराया/रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर ब्याज वसूलने में विफलता से ₹ 13.91 करोड़ के राजस्व की कम प्राप्ति।

4.9.1 उत्खनि पट्टों में अनिवार्य किराये का विलंब से भुगतान

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार खदानों के पट्टेदार निर्धारित दिनांक या उससे पहले राज्य शासन को अनिवार्य किराये या रॉयल्टी का भुगतान करने में विफल रहने पर चूक की अवधि हेतु प्रतिवर्ष 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना आवश्यक होगा।

लेखापरीक्षा अवधि 2012–13 से 2015–16 में खदान पट्टेदारों से संबंधित 23 जि.ख.का.[24] में 1,770 प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच में पाया गया कि 143 खदान पट्टेदारों ने अनिवार्य किराये के भुगतान में 30 से 1,651 दिनों तक का विलंब किया। उनमें से तीन पट्टेदारों ने राशि ₹ 14 लाख अनिवार्य किराये का विलम्बित भुगतान किया, किन्तु दाण्डिक ब्याज का ₹ 2.94 लाख का कम भुगतान किया और शेष 140 पट्टेदारों ने अनिवार्य किराये के विलम्ब से भुगतान की राशि ₹ 3.32 करोड़ पर ब्याज ₹ 79.68 लाख का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार जि.ख.अ. अनिवार्य किराये के विलंबित भुगतान पर ब्याज ₹ 82.62 लाख वसूलने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति प्रतीक्षित होगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2011–12 से 2015–16 में इसी तरह की आपत्तियाँ ली गईं, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.9.2 खनन पट्टे में रॉयल्टी का विलम्ब से भुगतान

खनिज रियायत नियम 1960 के अनुसार पट्टाधारक के निर्धारित तिथि तक रॉयल्टी, किराया व दरों का भुगतान करने में विफल होने पर वह निश्चित तिथि की समाप्ति के 60वें दिन से ऐसी रॉयल्टी के भुगतान की तिथि तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

---

[23] अनूपपुर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा, धार, कटनी, नरसिंहपुर, रीवा, सागर, सतना, सीधी और सिंगरौली

[24] अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, कटनी, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, रीवा, सागर, शहडोल, शाजापुर, सिवनी, सीधी, टीकमगढ़ और उज्जैन

दो जि.ख.का.[25] के 52 प्रकरणों की नस्तियों की नमूना जाँच अप्रैल 2015 से मार्च 2016 में 10 पट्टेदारों ने निर्धारित तिथि व्यतीत होने के पश्चात् 30 से 456 दिनों के विलम्ब से रॉयल्टी का भुगतान किया। तथापि, दो जि.ख.अ. ₹ 13.08 करोड़[26] ब्याज वसूलने में असफल रहे।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति की निगरानी की जायेगी।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह की प्रेक्षण इंगित किये गये थे, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

4.10 अनिवार्य किराये की वसूली न होना या कम वसूली होना

जिला कलेक्टर 218 पट्टेदारों से अनिवार्य किराया ₹ 2.92 करोड़ वसूलने में असफल रहे।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम/खदान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम के अनुसार प्रत्येक पट्टेदार, खदान पट्टे/उत्खनि पट्टे में शामिल समस्त क्षेत्रों के संबंध में निर्धारित दरों पर अनिवार्य किराये का प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, बशर्ते कि पट्टेदार निकासी या उपयोग किये गये खनिज पर रॉयल्टी के भुगतान का देय हो जाने की स्थिति में, उस क्षेत्र के लिए अनिवार्य किराया अथवा रॉयल्टी की राशि में से जो भी अधिक हो, के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियमों के अनुसार जहाँ पट्टेदार निर्धारित तिथि तक खदान पट्टे के अनिवार्य किराये का वार्षिक भुगतान करने में विफल रहते हैं, जिला कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर पर्याप्त सूचना पत्र जारी करने के बाद पट्टे का आंकलन करने और सुरक्षा जमा राशि के पूरे या आंशिक हिस्से को राजसात करने या विकल्पतः पट्टेदार से इस नियम–उल्लंघन हेतु शास्ति वसूल कर सकेगा जो पट्टेदाता द्वारा निर्धारित पट्टे के अनिवार्य किराये की अर्द्धवार्षिक दर की चार गुणा राशि से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा द्वारा 30 जि.ख.का.[27] के अभिलेखों की अप्रैल 2013 से मार्च 2016 की अवधि की नमूना जाँच में पाया कि जाँचे गये 1,940 खदान पट्टों में से 203 और जाँचे गए 37 खनन पट्टों में से 15 ने ₹ 2.92 करोड़ कम जमा किये थे। यद्यपि, जि.ख.अ. ने 54 मामलों में माँग सूचना पत्र जारी किये, तथापि न तो इन 54 प्रकरणों और न ही शेष 164 प्रकरणों में कोई कार्यवाही की गई।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति पर निगरानी रखी जायेगी।

वर्ष 2011–12 से 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इसी तरह के प्रेक्षण इंगित किए गए थे, लेकिन विभाग ने ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिये कोई तन्त्र विकसित नहीं किया है।

---

25 रीवा और सीधी

26 जि.ख.अ. सीधी (3 प्रकरण, ₹ 1.69 करोड़) और जि.ख.अ. रीवा (7 प्रकरण, ₹ 11.39 करोड़)

27 अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, हरदा, कटनी, मण्डला, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, सीधी, उज्जैन और उमरिया

4.11 व्यापारिक खदानों से अनुबंध राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना

व्यापारिक खदानों के 13 ठेकेदारों से संविदा राशि ₹ 1.61 करोड़ वसूलने में विभाग विफल रहा।

मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम एवं मानक संविदा अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि से एक माह के भीतर ठेकेदार व्यापारिक खदान की संविदा राशि का भुगतान करने में विफल होता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं खदान की पुनर्नीलामी की जायेगी। इसके फलस्वरूप खदान की पुनर्नीलामी होने पर शासन को कोई हानि होती है तो वह चूककर्ता ठेकेदार से सूचना जारी करने के उपरान्त भू–राजस्व के बकाया की तरह वसूल की जायेगी। नियमों में यह भी प्रावधानित है कि जि.ख.अ. फार्म 23 में व्यापारिक खदान की आय की पंजी के माध्यम से संविदा राशि की समय पर प्राप्ति या देरी से प्राप्त भुगतानों पर ब्याज का आरोपण करने पर निगरानी रखेंगे।

पाँच जि.ख.का.[28] में 53 व्यापारिक खदानों की प्रकरण नस्तियों की नमूना जाँच अप्रैल 2013 से मार्च 2016 में पाया गया कि 13 ठेकेदारों ने भुगतान योग्य राशि ₹ 2.03 करोड़ के विरूद्ध ₹ 41.99 लाख की संविदा राशि का भुगतान किया। जि.ख.अ. ने सात प्रकरणों में ₹ 75 लाख की माँग हेतु जारी सूचनाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की तथा शेष छह प्रकरणों में ₹ 86 लाख के लिए माँग पत्र जारी नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, 13 ठेकेदारों से ₹ 1.61 करोड़ की अनुबंध राशि की वसूली नहीं हुई।

आगे देखा गया कि जि.ख.अ. रायसेन, सिवनी, शाजापुर ने व्यापारिक खदान से आय की पंजी का संधारण नहीं किया; जो कि अनुबंध राशि की प्राप्ति की निगरानी हेतु साधन के रूप में निर्धारित किया गया है। अन्य दो जि.ख.अ. ने उक्त पंजी का संधारण किया, किन्तु संविदा राशि के भुगतान की निगरानी नही की।

निर्गम सम्मेलन (नवम्बर 2017) के दौरान विभाग ने सूचित किया कि उचित कार्यवाही की जा रही थी। लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति पर निगरानी रखी जायेगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2011–12 से 2015–16 तक में समान प्रेक्षण इंगित किए गए थे, किन्तु विभाग द्वारा इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम हेतु कोई तन्त्र विकसित नहीं किया गया है।

[28] बुरहानपुर, मण्ड़ला, रायसेन, सिवनी और शाजापुर